

## न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 75/2022-23

### -:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित । आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी । अंचल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी के पत्रांक- 767, दिनांक - 14. 12.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका सुकुरमनी टुडु, पिता- अनिल टुडु, साकिम- गोलमारा, पो0- पोखरिया, थाना- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- गोलमारा, मौजा नं0- 282, पुराना खाता नं0- 11, पुराना प्लॉट नं0- 493, नया खाता नं0- 31, नया प्लॉट सं0- 352, रकबा- 25 डिसमील भूमि क्रेता कार्तिक कुमार मुर्मू, पिता- नन्दलाल मुर्मू, साकिम- गोलमारा, पो0- पोखरिया, थाना- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं । अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के संथाल हैं तथा दोनों एक ही थाना- पूर्वी टुण्डी, जिला- धनबाद के निवासी हैं । जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 99 डिसमील भूमि शेष बचती है । अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है ।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।